कार्यपालिक सारांश

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005, संशोधित 2011, बजट अभिलेखों, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, तेरहवें वित्त आयोग (टीएचएफसी) द्वारा अनुशंसित आर्थिक समीक्षा मानक तथा विभिन्न शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ो के आधार पर किया गया है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

प्रथम अध्याय, वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2014 के स्थिति में शासन की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह राज्य की संपूर्ण वित्तीय स्थिति, समर्पित व्यय तथा उधार पद्धति के बजट अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति के प्रवृत्तियों पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। साथ ही यह राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा बजट के बाहर अन्य माध्यम से निधियों के हस्तांतरण का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

द्वितीय अध्याय, विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों के द्वारा आवंटित संसाधानों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है।

तृतीय अध्याय, विभिन्न प्रतिवेदन आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के प्रति छत्तीसगढ़ शासन के अनुपालन की सूची है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

प्रथम अध्याय : राज्य शासन के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2013-14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर, तेरहवें वित्त आयोग के 12.50 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 13.21 प्रतिशत रहा ।
- वर्ष 2013-14 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 809 करोड़ था तथा वह शून्य राजकोषीय घाटा बनाये रखने में असफल रहा जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग एवं वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण में परिकल्पित किया गया था। वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा (₹ 5,057 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.73 प्रतिशत था, जो कि वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण अधिनियम तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के अंतर्गत ही था।
- राजस्व प्राप्तियों (₹ 32,050) में विगत वर्ष की 14.35 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2013-14 में 8.36 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों का हस्तांतरण

- वर्ष 2013-14 में भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि ₹ 4,046.30 करोड़ सीधे हस्तांतरित किया। यह निधि राज्य बजट के माध्यम से प्रदान नहीं की गई ।

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकताएं

- वर्ष 2013-14 में राजस्व व्यय, कुल व्यय (₹ 38,757 करोड़) का 85 प्रतिशत तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 18 प्रतिशत था। कुल राजस्व व्यय में आयोजना राजस्व व्यय का हिस्सा वर्ष 2012-13 में 46 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 42 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 19,110 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 58 प्रतिशत था।
- वर्ष 2013-14 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत की कमी हुई। यह कमी मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं, शहरी विकास तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु पूंजीगत व्यय में हुई।
- राज्य के द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को प्रदत्त वित्तीय सहायता, वर्ष 2012-13 में ₹ 7,043.85 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 7,650.73 करोड़ हो गई। आर्थिक सहायता पर व्यय में ₹ 1,365 करोड़ (76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

अपूर्ण परियोजनाएं

- लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के 166 अपूर्ण परियोजनाओं पर, 31 मार्च 2014 तक व्यय राशि ₹ 4,198 करोड़ निष्फल रही।

शासकीय निवेशों का प्रतिफल

- 31 मार्च 2014 की स्थिति में, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शासकीय कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, बैंकों आदि में ₹ 1,866.44 करोड़ का निवेश किया गया। वर्ष के दौरान शासन के 6.12 प्रतिशत के ऋण लागत के विरूद्ध निवेश का प्रतिफल (₹ 14.21 करोड़) 0.76 प्रतिशत था।

राजकोषीय दायित्व

- वर्ष 2013-14 में राज्य के राजकोषीय दायित्वों (₹ 24,902 करोड़) में, विगत वर्ष की तुलना में 29.24 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 11.79 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष राजकोषीय दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.46 प्रतिशत था।

ऋण प्रबंधन

- उधार निधियों की कुल उपलब्धता, वर्ष 2012-13 में ₹ 1,012 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 4,283 करोड़ हो गई। ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्ति से अनुपात वर्ष 2012-13 में 3.90 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 4.22 प्रतिशत हो गया।

द्वितीय अध्यायः वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण

- वर्ष 2013-14 में ₹ 10,171.76 करोड़ की अत्यधिक बचत हुई, जो कि त्रुटिपूर्ण बजट प्राक्कलन को इंगित करता है। सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं से संबंधित 10 अनुदानों में विगत पांच वर्षों से सतत् बचत देखा जा रहा है।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2013-14 में आकस्मिकता निधि से 13 अवसरों पर ₹ 32.84 करोड़ के अग्रिम का आहरण उन व्ययों की पूर्ति के लिये किया गया जो तो न अदृष्ट प्रकृति के थे न ही आकस्मिक प्रकृति के।

वर्ष 2013-14 में प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित नियमितिकरण

- वर्ष 2013-14 के दौरान पांच अनुदानों/विनियोगों में राशि ₹ 178.96 करोड़ का, प्रावधानों से अधिक व्यय किया गया जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमितिकरण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त 2000-13 की अवधि के दौरान राशि ₹ 2,134.43 करोड़ के अधिक व्यय का नियमितिकरण अब भी अपेक्षित है।

तृतीय अध्याय : वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र

- राज्य शासन द्वारा प्रदत्त राशि ₹ 8,864.38 करोड़ के अनुदानों के संबंध में अनुदान ग्रहीता संस्थाओं से अत्यधिक संख्या में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (14,902) अपेक्षित हैं, जो कि संबंधित विभागों के द्वारा अनुदानों के उपयोगिता की उचित निगरानी में कमी को इंगित करता है।

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर निधियों का आहरण

- मार्च 2014 की स्थिति में विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुत न किये जाने के कारण, 2012-14 की अवधि में आहरित राशि ₹ 63.13 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक देयक लंबित हैं।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखा का संधारण

- मार्च 2014 के अंत तक 322 व्यक्तिगत निक्षेप (पीडी) लेखाओं में ₹ 1,665.62 करोड़ का अंतिम शेष था। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पीडी लेखाओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भी जारी रखा गया।